राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–6094/2021

ख्याली राम मीना

–अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कला एवं संस्कृति विभाग, जोधपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 23.02.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अमित माथुर, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री सरोजनी चंचलानी, प्रतिनिधि

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद से दिनांक 31.07.2019 को अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुआ। अपीलार्थी सेवानिवृत्ति के पश्चात सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने का अधिकारी था। अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति लाभ समय पर प्रदान नहीं किये गए और देरी से लाभ दिये गए जो नवम्बर, 2020 में दिये गए। अपीलार्थी का पेंशन पेमेंट ऑर्डर नवम्बर, 2020 में जारी किया गया। उसके पश्चात ही अपीलार्थी का पेंशन, ग्रेचुटी, leave encashment का लाभ प्राप्त हुआ। अपीलार्थी को पेंशन परिलाभ दिये जाने में 16 माह की देरी रही है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क रहा है कि अपीलार्थी को समय पर सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान नहीं किया गया और इसलिए अपीलार्थी राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 89 के तहत देरी से भुगतान हुए सेवानिवृत्ति लाभ पर ब्याज राशि प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा पेंशन परिलाभों को 16 माह बाद दिये जाने के कारण विलम्ब भुगतान पर 18 प्रतिशत राशि की मांग की गयी है, जो अस्वीकार है क्योकि अपीलार्थी को ग्रेड–पे गलत निर्धारण के कारण ऑडिट आक्षेप तथा वित्त

विभाग के आदेश एवं निदेशालय के संशोधित आदेश के परिप्रेक्ष्य में सहमति के आधार पर भुगतान किया गया है, जो उचित व विधि सम्मत है। अतः अपीलार्थी को विलम्ब होने पर ब्याज राशि मांगने कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग ने देरी से पेंशन परिलाभ दिये जाने का यह कारण बताया है कि अपीलार्थी की ग्रेड–पे गलत निर्धारण हो जाने के कारण ऑडिट आक्षेप के आधार पर संशोधित आदेश के परिप्रेक्ष्य में सहमति के आधार पर भुगतान किया गया है।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अदेय प्रमाण पत्र (अनुलग्नक–1) के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को गलत पे–ग्रेड देने से रुपये 202763/– की वसुली की गई, जो अपीलार्थी की सहमति से ग्रेचुटी की राशि से की गई। अपीलार्थी को गलत पे–ग्रेड दिये जाने में अपीलार्थी की कोई गलती नहीं रही है और अपीलार्थी से जो भी वसुली की जानी है, उसमें देरी प्रत्यर्थी विभाग ने ही की है। ऐसे में हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी को पेंशन परिलाभ दिये जाने में जो देरी हुई है, वह प्रत्यर्थी विभाग द्वारा ही गई है।
4. अतः अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी को पेंशन परिलाभ दिये जाने में हुई देरी के लिए राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 89 के तहत ब्याज राशि प्रदान की जाये।
5. इस आदेश की पालना 2 माह में सुनिश्चित की जाये।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)